फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

रामप्रसाद बंसल बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमाः–251–क आर0टी0एक्ट प्रकरण संख्याः– 43 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.02.24	आज यह पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से रोही कस्बा सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 2071 के खाता संख्या 110 के खसरा संख्या 235 मिन 1 में 0.759 हैक्टर बारानी भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के नाम संयुक्त खाता के खसरा संख्या 235 के खातेदारी रकबा में आवागमन के लिये सूरतगढ़–बड़ोपल सार्वजनिक रोड़ जो कि खसरा संख्या 230/2 के दक्षिणी पासा में करीब एक बीघा चौड़ाई में रकबा छोड़कर सूरतगढ़ से बड़ोपल (पूर्व से पश्चिम) चलती है। इस सड़क के दक्षिणी पासा में इसी खसरा संख्या 230/2 के पश्चिमी पासा में करीब एक बीघा लम्बाई में 30 फुट चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण में रास्ता बना रखा है। इसी रास्ता से ही प्रार्थी अपने खातेदारी रकबा खसरा संख्या 235 के रकबा में फसल काश्त करते है। प्रार्थी के रकबा को बड़ोपल–सूरतगढ़ सार्वजनिक से जोड़ने वाला एक मात्र रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा संख्या 230/2 जमाबन्दी में दर्ज मिन 530/230 के रकबा में चालू रास्ता ही है जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता बुटासिंह के नाम आराजीकाश्त बाद के रकबा के रूप में दर्ज था, जो उनके फौत होने के उपरान्त उनके वारिसान के नाम दर्ज है। उक्त रकबा गैर खातेदारी की श्रेणी में आता है इसलिये इस रकबा के हैरिटेबल व ट्रान्सफरेबल राईट आराजी काश्त के बाद के काश्तकारों को ना होकर राज्य सरकार को है। फिर भी प्रार्थी अपने आरजीकाश्त बाद के हिस्सा में से कम करने को तैयार है। प्रार्थी अपनी भूमि में में से रास्ता मंजुर कर हिस्सा में से रकबा कम करने व जितना रकबा रास्ता में आता है उसके बदला में डीएलसी रेट की दुगुना राशि जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। कोई विवाद/स्थगन/रहन अंकित नही है एवं ना ही प्रस्तावित रास्ता में मकान/पेड़ इत्यादि बताया है। बहस सुनी गई एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। तहसील सूरतगढ़ की रोही कस्बा सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता संख्या 110 के खसरा संख्या 235 मिन 1 में 0.759 हैक्टर बारानी रकबा खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी ने अपनी भूमि तक पहुंच के लिये रास्ता चाहा है एवं खसरा संख्या 230/2 में रास्ता प्रस्तावित किया है, जो जमाबंदी में आराजी काश्त दर्ज है। रास्ता में आने वाली भूमि की राशि अदा करने को तैयार है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसील सूरतगढ़ की के खसरा संख्या 230/2 में (खसरा संख्या 230/2 की पश्चिमी सीमा से 135 फुट छोड़कर पक्की सड़क से दक्षिण की तरफ 165 फुट खसरा संख्या 235 की उत्तरी सीमा तक) एक बीघा लम्बा एवं 30 फीट चौड़ा (कुल 0.046 हैक्टर) गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। नजरिया नक्शा दिनांक 31.01.2024 इस आदेश का भाग रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शा में अंकन किया जावे। उक्त खसरा संख्या राजस्व नक्शा में 230/2 में स्वीकृत 0.046 हैक्टर रास्ता की भूमि के बदला में जसपाल सिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख के हिस्सा की अंकित आराजीकाश्त बाद भूमि में से कम की जावे तथा उक्त स्वीकृत रास्ता 0.046 हैक्टर रकबा की वर्तमान डीएलसी दर की दुगुना की दर से प्रार्थी से राशि राजकोष में जमा कराने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	2161 09.02.2024